



आर.ई.ओ.63

जोधपुर
विद्युत वितरण
निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपकरण)

सू. मांवर लाइन, इन्टरमीडियट एरिया, जोधपुर-342 001 कोम नं. 0291 2651. 13 (मि) फॉक्स नं० 27410/0

कमरांक- अफिस/जोधपुर डिस्कॉम/असू. सीपीएम/चक्रवर्तमान / प्रो.नं० 12०० जोधपुर, दिनांक 22/10/03

आदेश

विषय :- कुओं/ट्यूबवैल में होने पर विशेष श्रेणी के कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

निगम की राजस्व शीशीत की दर की वैधता दिनांक 10.10.2003 में निर्णय लिया गया है कि विशेष श्रेणी के आवेदन पत्रों, अिनका चार्ज आने पर कुओं/ट्यूबवैल खुदा हुआ नहीं जाता जावेना , के निस्तारण हेतु यह प्रावधान किया जावे कि निम्न आवेदकों का संशुद्ध श्रेणी में कनेक्शन का नंबर आ गया है लेकिन कुओं/ट्यूबवैल वर्तमान में बंद नही है . ऐसे आवेदकों को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित कर दिया जावे कि आवेदक 30 दिन के अन्दर कुओं/ट्यूबवैल खुदा कर प्रमाण सहित संबंधित कार्यालय को सूचित करे।

30 दिन तक कुओं/ट्यूबवैल नन जाने की सूचना नहीं मिलने पर आवेदक की तरफता के बाद के आवेदकों को मांग पत्र जारी कर दिजे जावेगा तथा 90 दिन तक भी कुओं/ट्यूबवैल नन जाने की सूचना कार्यालय में नही पहुंचने पर आवेदक का श्रेणी का अद्यतन पत्र निस्तार कर दिया जावेगा।

जोसकत नोटिस का उत्तर कार्यालय में पहुंचने की (30 दिन एव 90 दिन) की तारीख अंतिम की जावे।

इस प्रकार के आवेदकों की नशीयता 30 दिनों तक नहीं बढ़ती जावे तथा 90 दिन बाद जमली नशीयता में जाने वाले आवेदकों के कसकत अंतिम से अिनके कुएं/ट्यूबवैल नदी नने हुये है उनको अद्यतन शेष की नशीयता अनुसार मांग पत्र जारी कर दिजे जावेगा अिनके कुएं/ट्यूबवैल नन नही है अतः नोटिस का उत्तर 90 दिन के अन्दर आने पर मांग पत्र जारी कर दिजे जावे तथा 90 दिनों तक नदी सूचना न आने पर अद्यतन पत्र निस्तार कर दिया जावे। अन्य प्रावधान मन्दावत रहेगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(Handwritten Signature)
22/10/03

(आर.एस.वीधरी)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।